उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-21/2018/207/92-2-2018-164जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 25 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती में डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों के निर्माण कार्यो में धन की उपलब्धता के उपरान्त भी समय से कार्य न कराने, निर्माण कार्यो का समय से निरीक्षण न किये जाने, गुणवत्तापूर्वक कार्य न कराये जाने, निविदा कार्य में निष्पक्षता संदिग्ध होने, सरकारी कार्यो में रूचि न लेने एवं उपलब्ध धनराशि समय से व्यय न कर पाने तथा कार्यस्थल का चयन सुचारू रूप से न किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-108/2017/1117/92-2-2017-164जांच/15 दि0 11-07-2017 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल- देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया था।

2- अपचारी अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद के पत्र दिनांक 05-12-2017 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्व प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता, (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री हृदय शंकर तिवारी, सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन को जांच अधिकारी तथा प्रश्नगत प्रकरण में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती को विभागीय पक्ष / अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एतदद्वारा पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2018/207/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/श्री हृदय शंकर तिवारी, सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, प0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन को कृपया एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता, प0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/श्री हृदय शंकर तिवारी, सचिव, खेल विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-श्रावस्ती।

5- श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- श्रावस्ती सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल -देवीपाटन मण्डल गोण्डा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।